



J.C.S.S.S.Ltd.



Website : www.jcsss.com E-mail : jcsssorg@yahoo.co.in

Regd.No : MSCS/CR/328/2010

एमएम/ कलेक्शन एग्जेक्यूटिव अनुबंध पत्र-2

सेवा में

आपको सूचित करना है कि समिति अपने लाखों शदस्यों के साथ लगातार कई वर्षों से कॉर्परेटिव नियमानुकूल व्यक्तिगत व्यवसाय को, बढ़ोत्तरी के अद्वेश्य से ऋण देती रही है और सभी शदस्य इस ऋण योजना से लाभान्वीत होकर अपने—अपने व्यवसायिक लाभ प्राप्त करते रहे हैं, इसी कम में कुछ एमएम अपने व्यक्तिगत जाने—अन्जाने स्थिति में समिति नियमानुकूल कार्य निष्पादन नहीं भी कर पाते हैं जिस कारन समिति शदस्यों को ऋण प्राप्त करने में पड़ेशानी का भी सामना करना पड़ता है और इस कारन सकिए एमएम का कार्य भी बाधीत हो जाता है अतः इस अद्वेश्य के मद्देनजर समिति के निम्न बिन्दुओं को अपने—अपने घ्यान में जरूर रखें ताकि किसी समिति शदस्यों को ऋण लेने और देने में कोई पड़ेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

1. यह कि प्रतिदिन कम से कम सौ रुप्या का एक नया खाता एक सौ पच्चीस दिन तक खोलने का ही लक्ष्य रखें अथवा एक सप्ताह में अधिक से अधिक सिर्फ सात सौ, आठ सौ अथवा नौ सौ से अधिक नया खाता न हो, ये कम एमएम को 12500/- रुप्या दैनिक/प्रतिदिन कुल कलेक्शन का लक्ष्य पूरा होने तक नया खाता खोलना है।
2. यह कि एमएम को अपने नए खाते का लक्ष्य पूरा होने तक प्रतिदिन दस/10/- नए दुकान्दारों से सम्पर्क स्थापित कर सोसाईटी एवं उसके ऋण योजना के बारे में जानकारी देना है और उसका नाम/पता/मोबाइल नम्बर आदि समिति द्वारा निर्देशित फॉर्मेट में भरकर अगले दिन अपने वरिष्ठ/कार्यालय को समर्पित करना है।
3. यह कि चार्ट जमा करने में एमएम रिकवार्ड क्लोजिंग रिपोर्ट के अनुसार ही क्लोजिंग करें अर्थात् अगर किसी खाते में शदस्य किसी कारन जमा नहीं किए तो चार्ट जमा करते समय ऐसे खातों के लिस्ट के साथ अपने वरिय अधिकारी को क्लोजिंग करें ताकि सही जॉच किया जा सके विशेषकर प्रत्येक चार्ट रिकवार्ड क्लोजिंग रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन कुल कलेक्शन का सत्तर प्रतिशत से कम चार्ट जमा होने पर उस समय का सभी भुगतान जॉच के अधीन हो जाएगा अर्थात् इरेगूलर हो जाएगा, और पुनः अगले सप्ताह के कम से कम सत्तर प्रतिशत क्लोजिंग के उपरान्त ही कोई भी भुगतान संभव हो सकेगा।
4. यह कि एमएम/एग्जेक्यूटिव द्वारा प्रतिदिन कलेक्शन समिति द्वारा निर्देशित बैंक में जमा किया जाएगा और जमा रशीद अपने वरिष्ठ को भेजना होगा तदोपरान्त प्रत्येक माह के दिनांक 01-07 का 08 को 08-15 का 16 को, 16-22 का 23 को एवं 23-30/31 का 01 को, कुल खुले खातों का सप्ताहिक कुल जमा का रिपोर्टिंग अर्थात् चार्ट क्लोजिंग रिपोर्ट अपने वरिष्ठ को नियमित जमा करना होगा जिसके उपरान्त ही सभी जमा धारी सदस्यों को मैसेज भेजा जा सकेगा, अगर क्लोजिंग छ्यूडेट में किसी तरह का अवकाश है तो उसके अगले दिन क्लोजिंग रिपोर्ट जमा निश्चित रूपेण करना होगा।
5. यह कि कार्यालय में एक ऋण आवेदन तिथि में सप्ताहिक नए खाते के लक्ष्य के अनुसार ही ऋण आवेदित करे अर्थात् एक आवेदन तिथि में अधीक से अधीक नौ सौ का आवेदन समिति नियमानुसार ही करे, ऋण/मैचुरीटी आवेदन तिथि प्रत्येक माह के 08-10, 16-20 और 23-30 तारीख समिति द्वारा निर्धारित है तथा रेगूलर ऋण भुगतान आवेदन तिथि के दो क्लोजिंग एवं ई-रेगूलर ऋण आवेदन का तीन क्लोजिंग में एमएम द्वारा कुल खुले खातों के कम से कम सत्तर प्रतिशत क्लोजिंग जमा और खाता धारी सदस्य का ऋण सन्दर्भित सभी वेरीफिकेशन साक्ष्य के उपरान्त ही हो सकेगा।
6. यह कि किसी शाखा के ऋण भुगतान में उस शाखा के सभी एमएम का वर्तमान क्लोजिंग जमा होने के उपरान्त ही ऋण निकासी होने में अपने—अपने शदस्यों को विस्वाश में रखते हुए सहयोग करें, एमएम, डीओ एवं प्रबंधक सभी के लिए लागू।
7. यह कि किसी भी माह में 1 तारीख से 22 तारीख तक किसी भी एमएम/डीओ/प्रबंधक की नियुक्ति होने के उपरान्त क्लोजिंग 23 एवं 1 में समिति द्वारा निर्धारित कम से कम 1500/अथवा 2000/का न्यू डीडी2/3 दैनिक योजना का खाता खोल लेते हैं तो अगले माह 23 के क्लोजिंग के उपरान्त 25-30 तारीख के बीच में अनुबंधीत वेतन प्राप्त हो सकेगा।
8. यह कि विशेषकर एक हजार के दैनिक खातों के ऋण भुगतान में कम से कम साठ दिन के पैसा कम्प्यूटर में जमा होने के उपरान्त ही शदस्यों के बैंक में भुगतान करने में सहयोग करें, एवं ऋण आवेदन के बाद तीन चार्ट में रेगूलर जमा जॉच के उपरान्त दोनों में जो ज्यादा हो उसके आधार पर भुगतान हो सकेगा। नोट—साथियों दुर्घटना से देर भली समिति विस्वास दिलाती है कि नियमित ऋण भुगतान करने में सहयोग करने से समिति के सभी सदस्यों को समय से ऋण प्रदान हो सकेगा और समिति का जो लक्ष्य है पूरा होगा जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है।